

TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 1(742)/GA/Estt./DC/R.P./2012/3009


Dated: 17/01/2013

NOTIFICATION

Consequent upon joining in Revenue Department for 42 weeks district training programme Ms. Pooja Jain, Shri Danish Ashraf and Shri Ravi Dhawan, IAS Probationers shall perform various functions as Tehsildar in District North, South-West and South respectively w.e.f. 04.02.2013 to 15.03.2013. Now, therefore,

1. F No. 1(742)/GA/Estt./DC/R.P./2012 .- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon (1) Ms. Pooja Jain, IAS (Probationer) (2) Shri Danish Ashraf, IAS (Probationer) and (3) Shri Ravi Dhawan, IAS (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
2. F No. 1(742)/GA/Estt./DC/R.P./2012 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Ms. Pooja Jain, IAS (Probationer) (2) Shri Danish Ashraf, IAS (Probationer) and (3) Shri Ravi Dhawan, IAS (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
3. F No. 1(742)/GA/Estt./DC/R.P./2012 .- In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Ms. Pooja Jain, IAS (Probationer) (2) Shri Danish Ashraf, IAS (Probationer) and (3) Shri Ravi Dhawan, IAS (Probationer) as Consolidation Officers in the said territory, for the purpose of the aforesaid Act, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
4. F No. 1(742)/GA/Estt./DC/R.P./2012 .- In exercise of powers conferred by section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954). the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Ms. Pooja Jain, IAS (Probationer) (2) Shri Danish Ashraf, IAS (Probationer) and (3) Shri Ravi Dhawan, IAS (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,


(Kuldeep Singh Gangar)
Spl. Secretary (Revenue)/
Dy. Commissioner(HQ)


F No. 1(742)/GA/Estt./DC/R.P./2012/3009

Dated: 17/01/13

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Gazette (Extra Ordinary).
2. The Deputy Commissioner, District North, South-West and South Delhi/New Delhi.
3. Officer concerned through Deputy Commissioner, District North, South-West and South Delhi/New Delhi.
4. System Analyst, for uploading the notifications on departmental website.
5. P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
6. Guard file.

Banica


(Ashok Kumar Sharma)
Sub Divisional Magistrate-IV (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग),
5--शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012/3009

दिनांक : 17/01/2013

अधिसूचना

कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) जिन्होंने 42 सप्ताह के लिए आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है कमश: जिला उत्तर, दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण में तहसीलदार का कार्यभार 04/02/2013 से 15/03/2013 तक संभालेंगे। अतः-


1. सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की (उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं0 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

2. सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर-प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

3. सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डींग अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं0 50) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं0 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर



(कुलदीप सिंह गंगर)

विशेष सचिव (राजस्व)/


उपायुक्त (मुख्यालय)

सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012/3009

दिनांक : 17/01/2013

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उप-सचिव (सा0 प्रा0 वि0) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित।
2. उपायुक्त, जिला उत्तर, दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण दिल्ली।
3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला उत्तर, दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण दिल्ली के माध्यम से।
4. प्रणाली विश्लेषक (उपायुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
5. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली,।
6. गार्ड फाइल।


(अशोक कुमार शर्मा)

उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-IV)